



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी लालमन पुत्र श्री नरायनलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-13928/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-26.03.2026, दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी लालमन पुत्र श्री नरायनलाल, जो ग्राम-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरेखडा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चे, सूजा, बल्लम, लाठी से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 व 221/2002, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 506, 148 व 7 सी०एल०ए० एक्ट एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी.एक्ट), पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.2025 तक अपरिहार 22 वर्ष, 02 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 06 माह 27 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की पूर्ण सम्भावना होने, भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की वर्तमान आयु के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई से अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी लालमन पुत्र नरायनलाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.11.2025 तक बन्दी की आयु 48 वर्ष, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (05 व्यक्तियों की हत्या), बन्दी के स्वास्थ्य की दशा स्वस्थ होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी लालमन (बन्दी संख्या-17098) पुत्र श्री नरायनलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 1348/2026/778(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
- 2- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
- 3- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
- 4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रांट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।